उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–480 /XXVII-6/430/एक/2016/2019
देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

राज्य में समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 एवं शासनादेश संख्या–130 XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 निर्गत किया गया है।

2– उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान, जो निम्नतालिका के स्तम्भ–3 में वर्णित है, को प्रतिस्थापित करते हुए इसके स्थान पर सम्मुख स्तम्भ–4 के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जाता हैः–

क0 सं0	शासनादेश संख्या	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019	**प्रस्तर–2(1).16** वचनबद्ध मदों–01, 03 व 06 में गलोबल बजटिंग की व्यवस्था लागू होने से उक्त मदों का आवंटन आहरण–वितरण अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जाएगा। एरियर के भुगतान हेतु आहरण–वितरण अधिकारी की मांग पर पोर्टल के मैनुअल पे ऑप्शन से भुगतान हेतु बजट आवंटित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।	वेतन अवशेष (एरियर) का भुगतान वास्तविक वेतन के भुगतान की तुलना में नगण्य है, जिस हेतु पृथक से व्यवस्था की जानी व्यावहारिक नहीं है। अतः वेतन के एरियर के भुगतान के संबंध में आहरण–वितरण अधिकारी को बजट मांग की आवश्यकता नहीं होगी। वेतन अवशेष (एरियर) का भुगतान सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ग्लोबल बजट के माध्यम से किया जायेगा।
2	130 XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 **प्रस्तर–2(6)** दैनिक कार्यों के समाधान के लिये विशेष निर्देश	**प्रस्तर–2(6).7** IFMS पोर्टल में अभिलेखों को स्कैन करके ई–साईन के माध्यम से अपलोड किये जाने, कोषागारों में देयकों को ई–साईन के माध्यम से ऑनलाईन सिस्टम से उपलब्ध कराने तथा अधिष्ठान के कार्यों से संबंधित ऑनलाईन की नवीन प्रकिया व इस संबंध में वर्तमान में अपनायी जा रही प्रकिया दोनों ही समानान्तर रूप से 06 माह तक प्रयोगात्मक रूप से एक साथ लागू रहेंगी। IFMS पोर्टल से उक्त कार्यों का ऑनलाईन सम्पादन शत– प्रतिशत रूप से सफल होने पर मैनुअल प्रकिया को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जायेगा।	आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं कनेक्टिविटी की उपलब्धता न होने के कारण IFMS पोर्टल में अभिलेखों को स्कैन करके ई–साईन के माध्यम से अपलोड किये जाने, कोषागारों में देयकों को ई–साईन के माध्यम से ऑनलाईन सिस्टम से उपलब्ध कराने तथा अधिष्ठान के कार्यों से संबंधित ऑनलाईन की नवीन प्रकिया अद्यतन लागू/संभव न हो पाने की स्थिति के कारण वर्तमान में संचालित समानान्तर व्यवस्था आगामी 06 माह हेतु अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित की जाती है।

2– शासनादेश–132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 एवं शासनादेश संख्या–130 XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–४८० /XXVII-6/430/एक/2016/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर।
9. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर/देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी।
11. समस्त वित्त नियंत्रक/आहरण/वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. राज्य एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
(मो0 औबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव।